कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/हिनि/28129 (छात्रवृत्ति)/2026–27 दिनांकः 02/07/2026

समस्त संयुक्त निदेशक
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त प्राचार्य, डाइट
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषयः हितकारी निधि योजनान्तर्गत एकमुश्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रण की अंतिम तिथि में 15/07/2026 तक अभिवृद्धि ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित कार्यालय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/हिनि/28129 (छात्रवृत्ति)/2026–27 दिनांक 12/05/2026 द्वारा हितकारी निधि माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नियमित अंशदाता विभागीय कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा X (सेकेंडरी) परीक्षा सत्र 2026 में (परीक्षा परिणाम मार्च 2026) 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एकमुश्त ₹11,000/– छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/06/2026 निर्धारित की गई थी।

उक्त योजना के अंतर्गत अपेक्षा से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण, विचारार्थ एवं योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/06/2026 से बढ़ाकर 15/07/2026 की जाती है। यह अभिवृद्धि केवल आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु की गई है, जबकि पूर्व में निर्धारित सभी नियम, शर्तें एवं प्रक्रिया यथावत लागू रहेंगी।

आवेदन पत्र पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी द्वारा अनुशंसित कर अग्रेषित किए जाएं। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक की अंशदान कटौती अनुसूचियां एवं ई.सी.एस. प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंतिम तिथि 15/07/2026 के उपरांत प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे। संस्था प्रधान एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र सभी शर्तों के अनुरूप एवं पूर्ण हों।

लगातार.....2

अतः समस्त संबद्ध अधिकारीगण से अनुरोध है कि संशोधित अंतिम तिथि के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर हितकारी निधि छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा सके।

(अशोक कुमार पारीक)
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव, हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।
7. संपादक, शिविरा पत्रिका – प्रकाशनार्थ।
8. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग–विभागीय वेबसाइट, शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार पारीक)
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव, हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर